Annexure-V
② Lab. Asst.

नई दिल्ली, 2 अगस्त, 2019

सा.का. नि. 248.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (वैज्ञानिक सहायक और प्रयोगशाला सहायक-वर्ग ग पद) भर्ती नियम-2008, जहां तक उनका संबंध प्रयोगशाला सहायक के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय, न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय और इनकी दुरस्थ इकाइयों में प्रयोगशाला सहायक - समूह ग के पदों पर भर्ती की पद्धति विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .—**

   (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय, प्रयोगशाला सहायक - (समूह ग पद) भर्ती नियम, 2019 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होगें।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—** पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनूसूची में स्तम्भ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—**उक्त पदों की भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनूसुची के स्तंभ (5) से (13) तक में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता .—** वह व्यक्ति -

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है; या,

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

   उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

   परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इन नियम के प्रवर्तन में छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.—**जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण है, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों या पदों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृति.—**इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए, आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
प्रयोगशाला सहायक	07* (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अनुसचिवीय।	स्तर. 5 (29200-92300 रु)	लागू नहीं होता	18 से 27 वर्ष के बीच (केंद्रिय सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशो या अनुदेशो के अनुसार सरकारी सेवको के लिए चालीस वर्ष की आयु तक शिथिल की जा सकती है)

					टिप्पण- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है ।)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति :** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक :- **शैक्षिक अर्हता :** मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विज्ञान स्नातक डिग्री स्तर पर नीचे दिए गए विषयों में से एक विषय होना चाहिए: भौतिकी या गणित या वनस्पति विज्ञान या जन्तु विज्ञान या सूक्ष्म जैव विज्ञान या जैव प्रौद्योगिकी या भौतिक मानव विज्ञान या आनुवंशिक विज्ञान या रसायन या जैव रसायन शास्त्र या औषध विज्ञान या फार्मेसी **टिप्पण-**अर्हताएं या अन्यथा सुअर्दित अभ्यर्थीयो की दशा में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।	लागू नहीं होता	दो वर्ष सीधी भर्ती के लिए	सीधी भर्ती द्वारा जिसके ना हो सकने पर प्रतिनियुक्ति / आमेलन

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनमे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति / आमेलन : केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या केंद्र संघ राज्यक्षेत्र के अधिकारी : **(क):** (i) पूर्व काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृर्श पदधारण कर रहे हो; या (ii) वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 में या नियमित काडर या विभाग में सम्तुल्य नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के पश्चात पाँच वर्ष की सेवा की हो। **(ख):** स्तंभ 7 के अधीन निर्धारित शैक्षणिक अर्हताएं रखता हो। **टिप्पण:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग मे इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि साधरणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	**समूह 'ग' विभागीय / प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए विभागीय पुष्टि समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी):-** (1) कार्यालय प्रमुख, न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय - अध्यक्ष ; (2) प्रशासनिक अधिकारी, न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय - सदस्य; (3) अवर सचिव या डेस्क अधिकारी, गृह मंत्रालय - सदस्य	लागू नहीं होता।

[फा.सं. डीएफएसएस/38/(11)/2014]

आर.के. सोनी, अवर सचिव

New Delhi, the 2nd August, 2019

G.S.R. 248.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Directorate of Forensic Science (Scientific Assistants and Laboratory Assistants-Group 'C' posts) Recruitment Rules, 2008, in so far as they relate to the post of Laboratory Assistant, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Laboratory Assistant in the Directorate of Forensic Science Services, Ministry of Home Affairs and its outlying units , namely:-

1. **Short title and commencement .—**

   (1) These rules may be called the Directorate of Forensic Science Services, Laboratory Assistant (Group 'C' post) Recruitment Rules, 2019.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in the pay matrix.**—The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

(18)

3. **Method of recruitment, age- limit, qualification etc.**—The method of recruitment to the said post, age -limit, qualifications and other matter relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**—No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person;

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non - selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Laboratory Assistant.	**07*(2019)** *Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group 'C', Non Gazetted, Non Ministerial.	Level- 5. (Rs. 29200-92300)	Not applicable.

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Between 18 -27 years. (Relaxable for Govt. Servants upto 40 years in accordance with instructions or orders issued by the Central Government) **Note:** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands of Lakshadweep).	**ESSENTIAL:** Educational Qualification:- The Bachelor of Science Degree in one of the following subjects: Physics or Mathematics or Botany or Zoology or Microbiology or Biotechnology or Physical Anthropology or Genetics or Chemistry or Bio chemistry or Pharmacology or Pharmacy from a recognised University or Institute. **Note:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in the case of the candidates otherwise well qualified.	Not applicable.	Two years for direct recruits.	By direct recruitment failing which by deputation/ absorption.

In case of recruitment by promotion/deputation/ absorption grades from which promotion/deputation/ absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Deputation /absorption: Officers of the Central Government or State Government or Union territories : (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years service rendered after appointment to the post on regular basis in Level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) or equivalent in the parent cadre or department. (b) possessing the educational qualifications prescribed under column (7). **Note 1**:- Period of deputation, including period of deputation in another ex-cadre post, held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. **Note 2**:- The maximum age limit for appointment by deputation or absorption shall be not exceeding fifty –six years as on the closing date of the receipt of applications.	**Departmental Confirmation Committee consisting of:-** (1) Head of Office, Directorate of Forensic Science Services - Chairman; (2) Administrative Officer, Directorate of Forensic Science Services - Member; (3) Under Secretary or Desk Officer, Ministry of Home Affairs - Member..	Not applicable.

[F. No. DFSS/38/(11)/2014]

R. K. SONI, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 2019

सा. का. नि. 249.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये और अधीक्षक, केन्द्रीय उत्पादशुल्क, भर्ती नियम, 1986 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुये, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण मे पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग में अधीक्षक, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं; अर्थात्:-